

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 9,53,49,898/- (नौ करोड़ तिरपन लाख उनचास हजार आठ सौ अठानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

पटना, दिनांक- 13/8/26

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 9,53,49,898/- (नौ करोड़ तिरपन लाख उनचास हजार आठ सौ अठानवे रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आईडी संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	भवन प्रमंडल, जमुई	33464	सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत जमुई जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय, जमुई के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+4), गेस्ट हाउस/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के लिए type C (G+5) भवन, सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट (G+5) तथा 500 क्षमता का ऑडिटोरियम (GF) के निर्माण कार्य	3484 / 12.08.24	₹ 9,49,87,898/- (नौ करोड़ उनचास लाख सतासी हजार आठ सौ अठानवे रुपये)
2	भवन प्रमंडल, बेगुसराय	33043	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगुसराय के शेष कार्य का निर्माण कार्य (पार्ट-बी०) (परिसर विकास, एसटीपी एवं फायर फाइटिंग सहित अन्य आवश्यक कार्य)	2741 / 02.11.16	₹ 3,62,000/- (तीन लाख ब्रासठ हजार रुपये)
योग:-					₹ 9,53,49,898 / -

(नौ करोड़ तिरपन लाख उनचास हजार आठ सौ अठानवे रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) विपत्र कोड-03-4202021050105 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एसम. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 7588 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 13/8/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 7588 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सी.एफ.एम.एस. एप्रवर एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 13/8/26

सरकार के अपर सचिव।